यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड़, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय,प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड़, देहरादून के माह 07/2019 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अजय कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री महेश चन्द, पर्यवेक्षक एवं श्री कुलदीप कुमार पँवार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07.12.2020 से 22.12.2020 तक श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित संप्रेक्षा पर आधिरित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग- प्रथम

1- परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.07.2019 से 26.07.2019 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05.2017 से 06/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2019 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- देहरादून।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

वित्तीय वर्ष	स्थापना		गैर-स्थापना		बचत	आधिक्य
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	NIL	NIL	22666.34	22666.34	NIL	NIL
2019-20	NIL	NIL	13173.97	13173.97	NIL	NIL
2020-21 (11/2020 तक)	NIL	NIL	7542.31	3958.97	3583.34	NIL

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारंभिक शेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य(+)	बचत(-)
2018-19	सीसीटीएनएस	386.51	384.64	271.45	-	499.70
2019-20		499.70	-	248.93	-	250.77
2020-21		250.77	-	14.73	-	236.04
2018-19	पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना	-	350.00	321.83	-	28.17
2019-20		-	1339.50	379.78	-	959.72
2020-21		-	93.50	-	-	-

(iii) इकाई का वित्त पोषण बजट आवंटन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड़, देहरादून 'ए' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

सचिव ग्रह
पुलिस महानिदेशक
अपर पुलिस महा निदेशक-2
पुलिस महानिरीक्षक-5
अपर पुलिस महानिरीक्षक
पुलिस उप-महानिरीक्षक-4
पुलिस उप-महानिरीक्षक-पीएसी
पुलिस उप-महानिरीक्षक-गढ़वाल एवं कुमायू
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः उत्तराखण्ड़ कार्यालय, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड़, देहरादून की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्दादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड़, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2020 विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो-अ

प्रस्तर 01- रेलवेज़ से रु 43.30 करोड़ की प्रतिपूर्ति की धनराशि का लंबित रहना।

उत्तराखंड राज्य के पुलिस विभाग द्वारा राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत संचालित रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कायम करने एवं रेल गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राजकीय रेलवे पुलिस में, पुलिस बल की तैनाती की जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार राजकीय रेलवे पुलिस में तैनात कार्मिकों के वेतन भत्तों पर होने वाले व्यय को राज्य सरकार एवं रेलवे द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर रेलवे द्वारा राज्य में संचालित रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कायम करने एवं रेल गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राजकीय रेलवे पुलिस बल की तैनाती की गयी।

पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार रेलवे में तैनात पुलिस बल पर हुए व्यय की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के सापेक्ष राज्य पर अब तक पूर्वोतर रेलवे एवं उत्तर रेलवे द्वारा क्रमशः रु 11.80 करोड़ एवं रु 31.50 करोड़ अर्थात कुल रु 43.30 करोड़ की धनराशि भुगतान हेतु लंबित थी। आगे रेलवे की पत्रावलियों की संविक्षा में पाया गया कि पूर्वोतर रेलवे द्वारा निरंतर पुलिस विभाग उत्तराखण्ड से देयकों में से लीव सेलरी अशंदान कम करते हुए तथा देयक कार्मिकों की स्वीकृत संख्या के अनुसार प्रस्तुत करने को कहा गया जैसा कि देयक स्वीकृत संख्या से अधिक कार्मिकों हेतु तथा प्रतिपूर्ति की राशि में लीव सेलरी अंशदान की धनराशि को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत किए गए थे। इसी प्रकार उत्तर रेलवे द्वारा देयकों में से लीव सेलरी अशंदान कम करते हुए तथा देयक कार्मिकों की स्वीकृत संख्या के अनुसार प्रस्तुत करने को कहा गया। परंतु विभाग द्वारा उक्त दोनों रेलवेज द्वारा प्रतिपूर्ति देयकों पर लगयी गयी आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया एवं निरंतर प्रतिपूर्ति देयक स्वीकृत संख्या से अधिक कार्मिकों हेतु बिना लीव सेलरी अंशदान की कटौती किए प्रस्तुत किए जाते रहे। जिसके परिणामस्वरुप विभाग की रु 43.30 करोड की धनराशि लंबे समय से प्रतिपूर्ति हेतु लंबित थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि उत्तर रेलवे द्वारा पत्र प्राप्त होने पर बिल स्वीकृत संख्या के सापेक्ष संसोधित कर प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध कराये जाएंगे, एवं यह भी कहा गया कि भविष्य मे लीव सेलरी घटाकर देयक प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यूंकि दोनों रेलवेज़ द्वारा निरंतर स्वीकृत नियतन के सापेक्ष लीव सेलरी अंशदान घटाकर देयक प्रस्तुत किए जाने हेतु पुलिस विभाग को लिखा जाता रहा परंतु विभाग द्वारा उसकी अनदेखी करते हुए लगातार स्वीकृत संख्या से अधिक व लीव सेलरी अंशदान जोड़ते हुए देयक प्रस्तुत किए जाते रहे। जिसके परिणामस्वरूप रु 20.70 करोड की धनराशि प्रतुपूर्ति हेतु लंबित थी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (अ)

प्रस्तर 02- रु 18.67 करोड़ की धनराशि की प्रतिपूर्ति का लंबित रहना।

चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों- के अनुसार तैनात किए गए कार्मिकों पर हुए व्यय जो प्रति कार्मिक एक माह के वेतन से अधिक नहीं होगा। आगे, लोक सभा चुनाव के संदर्भ में सौ प्रतिशत व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि विधान सभा चुनाव के संदर्भ में व्यय 50:50 राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति संबन्धित राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश पर, वर्ष 2005 से 2019 तक संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न राज्यों में विधान सभा एवं लोक सभा चुनाव को सुचारु रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु पुलिस कार्मिकों को तैनात किया गया था।

उत्तराखंड पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2005 से 2019 तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश एवं हरियाणा में पीएसी एवं आईआरबी के कार्मिकों को चुनाव सम्पन्न कराये जाने हेतु तैनात किया गया था। उक्त अवधि में उक्त तैनाती पर हुए व्यय में से चौदह वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के पश्चात भी रु 18.65 करोड़ (अनुलग्नक) की धनराशि उक्त राज्यों से प्रतिपूर्ति हेतु लंबित थी। आगे, अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त राज्यों के पुलिस विभाग से पत्राचार तो किया गया परंतु उक्त प्रकरण को राज्य सरकार व समन्वय अधिकारी के समक्ष नहीं उठाया गया। परिणामस्वरूप, रु 18.67 करोड़ की धनराशि लंबे समय से प्रतिपूर्ति हेतु लंबित थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि जिन राज्यों से प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त होनी है उन राज्यों से पत्राचार किया जाएगा एवं भविष्य में यह मामला समन्वय अधिकारी के समक्ष भी उठाया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा इस प्रकरण को शासन स्तर पर संबन्धित राज्य सरकारों और समन्वय अधिकारी जिनके निर्देश पर कार्मिकों को तैनात किया गया था, के समक्ष उठाए जाने में उदासीनता बरती गयी। परिणामस्वरूप, रु 18.67 करोड की धनराशि लंबे समय से प्रतिपूर्ति हेतु लंबित थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

अनुलग्नक

(रु लाख में)

Sl.no.	**Name of State where personnel deputed**	**Type of election with date**	**Outstanding amount**
1	Uttar Pradesh	Panchayat Election 2005	20.43
2	Rajasthan	Assembly Election 2008	20.37
3	West Bengal	Assembly Election 2011	397.89
4	Uttar Pradesh	Assembly Election 2012	105.98
5	Goa	Assembly Election 2012	105.53
6	Gujrat	Assembly Election 2013	78.95
7	Jammu and Kashmir	Assembly Election 2014	264.52
8	Uttar Pradesh	Assembly Election 2017	216.55
9	Karnataka	Assembly Election 2018	33.63
10	Uttar Pradesh	Lok Sabha 2014	313.17
11	Chattishgarh	Assembly Election 2018	169.36
12	Madhya Pradesh	Assembly Election 2018	48.05
13	Rajasthan	Assembly Election 2018	51.02
14	Haryana	Assembly Election 2019	41.19
Total			**1866.64**

भाग दो-ब

प्रस्तर 01- निर्माण कार्य में स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया जाना रु 75.89 लाख।

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जनपद पौढ़ी गढ़वाल में टाइप द्वितीय के 24 टाइप तृतीय के 08 आवास के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु रु 189.73 लाख दिनांक 14.01.2008 को स्वीकृत किया गया जिसमें से रु 75.89 लाख दिनांक 01.04.2008 को आवंटित किया गया। शेष रु 113.94 लाख की मांग दिनांक 03.09.2011 को की गयी थी। दिनांक 18.11.2016 को पुनरीक्षित आंगणन रु 338.27 लाख की स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में पुनरीक्षित आंगणन रु 338.27 लाख की स्वीकृति देते हुए उक्त रु 75.89 लाख के अलावा रु 200 लाख की धनराशि दिनांक 22 मार्च 2017 को अवमुक्त की गयी थी।

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय देहरादून के निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि शासन द्वारा कुल रु 414.16 लाख (दिनांक 01.04.2008 को रु 75.89 लाख दिनांक 03.07.2017 को रु 135.30 लाख, दिनांक 17.03.2018 को रु 65.28 लाख, दिनांक 15.02.2019, रु 137.69 लाख) की धनराशि उक्त निर्माण कार्य हेतु दी गयी थी।

इस प्रकार स्वीकृत धनराशि रु 338.27 लाख से रु 75.89 लाख अधिक व्यय किया गया था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांच उपरान्त लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

अतः रु 75.89 लाख अधिक व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो-ब

प्रस्तर 2- लघु निर्माण/मरम्मत कार्यो पर अनियमित व्यय रु 66.16 लाख।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेन्ट)नियमावली जुलाई 2017 के बिन्दु 3 अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त (10) में स्पष्ट प्रावधान है कि निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नही किया जाऐगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जायेगा। बिन्दु 38 के अनुसार निर्माण की अधिप्राप्ति जो अध्याय 2 में निर्धारित की गयी है वह यथावत निर्माण कार्यो हेतु भी लागु होंगी।

कार्यालय उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून के लघु निर्माण एवं अनुरक्षण सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा रू 66.16 लाख के कार्य कोटेशन के आधार पर अलग-अलग टुकडों में निष्पादित कराये गये (सूची सलंग्नक) थे। अधिकतर फर्म/ठेकेदारों के बिलों में दिनांक एवं बाउचरों में बीजक संख्या भी अकित नही थी। सलंग्नक तालिका से स्पष्ट होता है कि कार्या को विभाजित कर के निष्पादित कराया गया है विभाग द्वारा यदि कार्यो का विभाजन न किया होता तो नियमानुसार निविदाये आमत्रित की जाती, जिससे विभाग को अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अवगत कराया की समस्त पत्रावली डीजीपी एवं एफसी द्वारा अनुमोदित है। उत्तर सम्पेक्षा को मान्य नही है क्योकि विभाग द्वारा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित न करते हुये समस्त कार्य कोटेशन प्राप्त कर टुकडों में निष्पादित कराये गये। जबकि रू 5.0 लाख से अधिक के कार्यो के लिए खुली निविदा आमत्रित किया जाना चाहिऐ थी।

अतः रू 66.16 लाख के अनियमित लघु निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाना का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो-ब

प्रस्तर 03- अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत रु 21.21 लाख SGHS अंशदान की वेतन से कटौती न किया जाना।

आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-688/XXXVVIII-04-2018-4/2008 सितम्बर 2018 एवं संशोधित शासनादेश संख्या-(1)XXXVVIII-3-2020 मई 2020 उत्तराखण्ड राज्य से समस्त राजकीय कर्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनायें जाने हेतु दरों निम्न दरों पर प्रतिमाह वेतन अंशदान नियमानुसार किया जायेगा।

1. वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को (09/2018 से 04/2020) रू 100 प्रतिमाह एवं 05/2020 से 11/2020 तक रू 250/- प्रतिमाह।

2. वेतन लेवल 6 तक के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को (09/2018 से 04/2020) रू 200 प्रतिमाह एवं 05/2020 से 11/2020 तक रू 450/-प्रतिमाह।

3. वेतन लेवल 7 से 11 तक के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को (09/2018 से 04/2020) रू 300 प्रतिमाह एवं 05/2020 से 11/2020 तक रू 650/-प्रतिमाह।

4. वेतन लेवल 12 एवं उत्चतर राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स (09/2018 से 04/2020) रू 400 प्रतिमाह एवं 05/2020 से 11/2020 तक रू 1000/-प्रतिमाह।

विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तानुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी/आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से की गई है एवं कटौती उपरांत धनराशि राज्य स्वाथ्य अभिकरण के खातें में e- transaction के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जायेगी।

कार्यालय उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून के अटल आयुष्मान योजना एवं वेतन से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से SGHS अंशदान हेतु माह 09/2018 से माह 11/2020 तक रु 21.14 लाख की कटौती नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि SGHS के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रचलित है तत्पश्चात अशंदान की कटौती सुनिश्चित की जायेगी। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि SGHS धनराशि की कटौती उसी माह वेतन से किया जाना चाहिए था जब शासनादेश निर्गत किया गया था। जबकि विभाग द्वारा शासनादेश की अवहेलना कर सम्प्रेक्षा तिथि (11/2020) तक वेतन से SGHS अंशदान की कटौती किया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया था।

अतः अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत रु 21.21 लाख SGHS अंशदान की वेतन से कटौती न किया जाना प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
22/2015-16	01	01,02,03	-
07/2017-18	01,02, 03	01,02,03	-
20/2019-20	02,03	01,02	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
22/2015-16	01- भाग-2 अ, 01,02,03- भाग-2ब	अप्राप्त	प्रस्तर यथावत	
07/2017-18	01,02, 03- भाग-2 अ, 01,02,03, भाग-2ब	अप्राप्त	प्रस्तर यथावत	
20/2019-20	02,03 भाग 2अ, 01,02,भाग 2ब	अप्राप्त	प्रस्तर यथावत	

भाग- IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग- V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड़, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**कार्यरत समय अवधि**	
			कब से	**कब मे**
1	श्री अनिल के. रतूडी	महानिदेशक	24.07.2017	30.11.2020
2	श्री अशोक कुमार	महानिदेशक	01.12.2020	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार/ए.एम.जी.-III** कार्यालय प्रधान महालेखाकार उत्तराखण्ड (लेखापरीक्षा), महालेखाकर भवन, द्वितीय तल -L-218 कौलागढ़, देहरादून 248195-को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III